Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सुरेश पुत्र गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 13, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

किस्म मुकदमा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्याः 76 सन् 2024

GCMS No.:- 2024/218

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पेश करने पर पेशी में ली गई। बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि ग्राम उदयपुर गोदारान के खसरा नम्बर 237/49 की 2.530 हैक्टेयर बारानी भूमि खातेदारी रामप्रताप पुत्र ओमप्रकाश जाति जोतकी निवासी चक 15 एल.के.एस. ढ़ाबा झलार तहसील सूरतगढ़ के नाम से दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी। रिकार्डेड खातेदार ने अपने नाम व कब्जा की भूमि 2.530 हैक्टेयर में से 1.265 हैक्टेयर बारानी का बेचाना प्रार्थी को कर दिया जिसका इन्तकाल न. 415 दिनांक 05.06.2022 को हो गया। खातेदार रामप्रताप के नाम से शेष रही भूमि का बेचान भी दिनांक 05.05.2023 को उप–पंजीयक राजियासर के कार्यालय में प्रार्थी के नाम से तस्दीक करवा दिया गया व इसका इन्तकाल संख्या 482 दिनांक 24.05.2023 को हो गया हैं। उक्त वर्णित भूमि बेचानकर्ता रामप्रताप के पास दो जगह पर कब्जा काश्त में थी जिसमें खसरा नम्बर 237/49 मिन 3 का 1.265 हैक्टेयर प्रार्थी का पूर्व में खरीदशुदा था तथा खाता विभाजन में प्रार्थी का यह रकबा एन.एच. 62 के चिपता हुआ होने के कारण इसी प्रकार से तरमीम किया जाना था परन्तु पटवारी/गिरदावर ने मिलकर नक्शा में तरमीम सही नहीं की व एन.एच. 62 के चिपती हुई जगह खाली छोड़ कर सड़क से पीछे गलत रूप से तरमीम कर दिया गया हैं तथा प्रार्थी के रकबा व एन.एच. 62 के बीच में खाली जगह छोड़ दी ताकि किसी ओर काश्तकार को गैरकानूनी रूप से फिट किया जा सके। श्रीमान जी प्रार्थी का कब्जा काश्त सड़क एन.एच. 62 के चिपते हुए हैं तथा पूर्व में इसी अनुसार नक्शा में तरमीम की जानी चाहिए थी। प्रार्थी का रकबा सड़क से हटाकर तरमीम किया गया हैं। अतः आदेश जारी किया जावे कि प्रार्थी का रकबा रोही उदयपुर गोदारान के खसरा नम्बर 237/49 मिन 3 का 1.265 हैक्टेयर रकबा सड़क एन.एच. 62 की सीमा के चिपते हुए सड़क से पश्चिम दिशा में नक्शा में तरमीम करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया जावे व सड़क सीमा व प्रार्थी के खातेदारी रकबा के बीच में किसी अन्य का रकबा फिट न किया जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार राज तहसीलदार से भी जवाब लिया गया व प्रार्थी ने अपने पक्ष में पड़ोसियों के बतौर गवाह शपथ पत्र भी प्रस्तुत करवाये गये हैं तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी का जैरप्रकरण रकबा रोही उदयपुर गोदारान के खसरा नम्बर 237/49/3 में 1.265 हैक्टेयर रकबा सलंग्न नक्शा अनुसार पीले रंग में दर्शाया गया है जो नक्शा के अवलोकन से लगता हैं कि सड़क से पीछे की तरफ से तरमीम किया गया हैं तथा सड़क व प्रार्थी के रकबा के बीच में खाली रकबा छोड़ा गया हैं जबकि प्रार्थी का रकबा सड़क के चिपता हुआ था। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है व प्रार्थी सुरेश पुत्र गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 13 सूरतगढ़ के नाम का रकबा रोही उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 237/49/3 का 1.265 हैक्टेयर को नक्शा में सड़क एन.एच. 62 के चिपते हुए पश्चिम दिशा में सड़क सीमा छोड़ते हुए तरमीम करने का आदेश दिया जाता हैं। सड़क सीमा व प्रार्थी सुरेश के रकबा के बीच में अन्य किसी को फिट नहीं किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sita Sharma Date: 2024.06.25 17:49:30 IST Reason: SelfAttested **उपखण्ड अधिकारी** **सूरतगढ़ (राज.)**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

क्रमांक / राजस्व / दुरूस्ती / 76 / 2024 / 5672 दिनांकः– 20.06.2024

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषयः– **दुरूस्ती प्रकरण संख्या 76 / 2024 सुरेश पुत्र गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 13 / 22 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ निर्णय दिनांक** 10/06/2024 **की पालना बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी सुरेश पुत्र गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न. 13 / 22 सूरतगढ़ के नाम का रकबा रोही उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 237 / 49 / 3 का 1.265 हैक्टेयर को नक्शा में सड़क एन.एच. 62 के चिपते हुए पश्चिम दिशा में सड़क सीमा छोड़ते हुए तरमीम करने का आदेश दिया जाता हैं। सड़क सीमा व प्रार्थी सुरेश के रकबा के बीच में अन्य किसी को फिट नहीं किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:30 IST
Reason: SelfAttested